

उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड

अल्पकालीन जैम निविदा संख्या – GEM/2021/B/1577997

एतदद्वारा जैम निविदा अधिकृत एवं अनुभवी कार्यदायी संस्थाओं/फर्म से, जो जी.एस.टी. में पर्जीकृत हो, एंव समान कार्य का अनुभव रखते हो, जैम पोर्टल के माध्यम से विद्युत पारेषण मण्डल आगरा के अन्तर्गत विभिन्न उपकेन्द्रों पर टी.जी.-2 एंव कार्यालयों के लिये चपरासी रखने हेतु उ0प्र0 शासन की जैम बेबसाइट <https://gem.gov.in> पर आमन्त्रित की जाती हैं।

जैम निविदा हेतु धरोहर धनराशि अधिशासी अभियन्ता विद्युत पारेषण खण्ड तृतीय आगरा के पक्ष में (चालू खाता संख्या 628705501013, IFSC Code ICICI0006287, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, सेंजय पैलेस आगरा) RTGS/NEFT के माध्यम से धनराशि स्थानान्तरण की (यूटी.आर. संख्या एंव दिनांक, बैंक खाता संख्या, धनराशि एंव फर्म का नाम) प्रति जैम पोर्टल पर अपलोड की जानी हैं।

किसी या समस्त निविदाओं को पूर्ण, आशिक रूप से स्वीकार, अस्वीकार अथवा निरस्त करने कर पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित हैं।

अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत पारेषण मण्डल, आगरा
“राष्ट्र हित में बिजली बचायें”

उपरोक्त विवरण ही प्रकाशित किया जाना है निम्न नाम, पदनाम एंव मुहर को प्रकाशित नहीं किया जाना है।

(अरुण कुमार)
अधीक्षण अभियन्ता

राष्ट्रीय धनराशि विभाग
राष्ट्रीय धनराशि बोर्ड
गोपनीय भृत्य

उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम



कार्यालय
अधिकारी अधिकारी
विद्युत पारेश मान्डल
निकट अमर उजला प्रेस,
बाई पास रोड
आगरा-282007

पत्रक - २५६२ विषयांशु/अल्पकालीन लेम निविदा संचाया - GEM/2021/B/1577997

पत्रक - २५६२ विषयांशु/अल्पकालीन लेम निविदा संचाया - GEM/2021/B/1577997
विषय - सेवा में
सेवा में

विज्ञापन व्यवस्थापक
शुद्धियन एस्ट्रेस, नई दिल्ली
आगरा उजला, आगरा

महोदय,

कृपया संलग्न विज्ञापन आगरे प्रतिवित दैनिक समाचार पत्रों में कम से कम स्थान में (हिन्दी भाषा के समाचार पत्रों के लिये ८-१० बाइल्ट टाइप में तथा अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के लिए ६-८ बाइल्ट टाइप में) समाचार पत्र के केवल एक कोलम में प्रकाशित करने की व्यवस्था करें। हैंडिंग व नीचे का नाम व पता यथासम्बन्ध एक ही लाइन में रखिये भेट के रूप में कम से कम स्थान में प्रकाशित करें।

१. स्थानीय प्रकृति की सूक्ष्मांकों लेस बिजली बदल रखने की सूचना, उपभोक्ता शिविर लाने की सूचना, बिजली विलों के संबंध में सूचना आदि का प्रकाशन यथासम्बन्ध समाचार पत्र के स्थानीय एक पर तथा निविदा सूचनाओं का प्रकाशन निविदा हेतु निविदित एक पर करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

२. प्रकाशन के बाद विज्ञापन आदेश की मूल प्रति के साथ विज्ञापन शुरू कर बैजक तीन प्रतियों में अधिक भुगतान प्रतिवित सूचना दिक्कत सहित प्रकाशित विज्ञापन की दो सूम्पूर्ण उत्तरवाची प्रतियों संलग्न करते हुए अधिकारी अधिकारी विद्युत पोषण मण्डल अधिकारी/अधिकारी, आगरा को जहाँ भुगतान क्षेत्रिक स्तर पर हांसा प्रेषित करें। विज्ञापन आदेश की प्रथम प्रति के स्थान पर फोटो प्रति प्रेषित करने पर सचायापन/सुभूतान सम्बन्ध न होगा।

३. संलग्न हिन्दी/अंग्रेजी भाषा की विज्ञापन समाप्ती का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र में केवल हिन्दी भाषा में ही लिखा जाये। हिन्दी समाचार पत्र के समाप्ती का अनुवाद हिन्दी भाषा में करने के उपरान्त ही विज्ञापन प्रकाशित किया जाये। लिङ्कों लिये समाचार पत्र को कोई अतिरिक्त शुरू कर देय नहीं होगा।

४. विज्ञापन प्रकाशित होते ही विलक्षणम् एक स्थान हें अन्दर प्रकाशित विज्ञापन की एक कठिन अश्वहस्ताक्षरी को सूचनार्थी भेज दी जाये। अन्यथा सर्वानुचित बैजक का सचायापन/भुगतान नहीं किया जारहा।

५. यदि आपको सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर तथा विज्ञापन एवं दूसरे प्रावार निवेदितात्मक, भारत सरकार द्वारा निवेदित न हो तो कृपया विज्ञापन का प्रकाशन न करें तथा अश्वहस्ताक्षरी को अविलम्ब इस अश्वर की सूचना देने का कष्ट करें। जो संस्करण द्वारा सचायापन न हो सर्कं उसका प्रकाशन न करें।

६. विज्ञापन के अन्त में सबसे नीचे 'राष्ट्र विजली बचाओ' नारा तथा विज्ञापन आदेश की संख्या एवं दिनांक अवश्य प्रकाशित करें।

७. उत्तर निवेदियों के विरित तथा गलत अथवा भद्रे ढांग से प्रकाशित किये गये विज्ञापनों में निगम द्वारा नियमानुसार आवश्यक कठोरी की जा सकती है अथवा सम्पूर्ण बैजक का भुगतान रोका/निरस्त किया जा सकता है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार

भवदीय

पत्रक - २५६२ विषयांशु / विज्ञापन विजित विद्युत समाचार पत्रों के लिये १०-२।

पत्रक - २५६२ विषयांशु / विज्ञापन विजित विद्युत समाचार पत्रों के सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेरित -

१. मुख्य अधिकारी अधिकारी (पोर्टफोली), उत्तरायणकाठी, आगरा।
२. उमहायबद्धक (लेखा) (पोर्टफोली), उत्तरायणकाठी, आगरा।
३. अधिकारी अधिकारी अधिकारी, विद्युत पारेश खाड द्वितीय आगरा।
४. नोटिस बोर्ड

संलग्न - उपरोक्तानुसार

(अरुण कुमार)

अधिकारी अधिकारी

उत्तरायण विभाग

द्वारा

(अरुण कुमार)

अधिकारी अधिकारी

उत्तरायण मण्डन

१०-१०-२१

दूसरांश : ०५६२-२८०४६२३ (आपिक्स)
मो. नं : ९४६९०९९४१५
E-Mail:- setagya@uppcl.org
GSTIN No. ०९AAAUCU8823E129